न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक जमवारामगढ जिला जयपुर

मुकदमा नम्बर 91/2018 पूराने व 133/2019 नये नम्बर

1. शंकर पुत्र कालू
2. मुकेश उर्फ मनीष पुत्र कालू
3. सुन्दरी पत्नी कालू
4. भौरी पत्नी दौलतराम

जाति बलाई निवासी ग्राम बिसोरी तहसील जमवारामगढ

वादीगण

बनाम

1. प्रभात पुत्र धासी
2. जौधा पुत्र धासी
3. मोहन पुत्र धासी

जाति बलाई निवासी ग्राम बिसोरी तहसील जमवारामगढ

4. राज. सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ

प्रतिवादीगण

मुकदमा नम्बर 109/2018 पूराने व 80/2019 नये

1. प्रभात पुत्र धासी
2. जौधा पुत्र धासी
3. मोहन पुत्र धासी

जाति बलाई निवासी ग्राम बिसोरी तहसील जमवारामगढ

वादीगण

बनाम

शंकर पुत्र कालू

मुकेश उर्फ मनीष पुत्र कालू

सुन्दरी पत्नी कालू

भौरी पत्नी दौलतराम

जाति बलाई निवासी ग्राम बिसोरी तहसील जमवारामगढ

बैक ऑफ इण्डिया शाखा कूकस जरिये शाखा प्रबंधक

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ

उप पंजीयक जमवारामगढ

प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राज. काश्तकारी अधिनियम

अन्तिम डिकी आदेश

दिनांक 26/9/23

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि वादी द्वारा जरिये अधिवक्ता श्री महेश शर्मा ने वाद पत्र बाबत दावा बाबत बंटवारा स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 11 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 12 रकबा 0.39 हैक्टेयर वाके ग्राम बिसोरी पटवार मण्डल बासना हाल नांगलतुलसीदास तहसील जमवारामगढ स्थित है जिसमे वादीगण का हिस्सा 1/2 एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 का संयुक्त हिस्सा 1/2 अनुसार स्थित है । वादग्रस्त भूमियो मे पूर्व दिशा की और से उत्तर से दक्षिण

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
जमवारामगढ जयपुर

वादीगण अपने संयुक्त हिस्सा 1/2 अनुसार की भूमि मे बहामी बंटवाने अनुसार मौके काबिज काश्तकार चले आ रहे है तथा पश्चिम दिशा की और उत्तर से दक्षिण प्रतिवादीगण अपने संयुक्त हिस्सा 1/2 अनुसार काबिज काश्तकार चले आ रहे है । अतः तकासमा डिक्री फरमाया जाकर वादग्रस्त कृषि भूमियो मे मुताबिक रिकार्ड मे दर्ज हिस्से अनुसार मौके पर कब्जे को मध्य नजर रखते हुये सरस नरस अनुसार विधिक तकासमा कराया जाकर वादीगण के हिस्सा भाग अनुसार भूमि का राजस्व रिकार्ड व लगान प्रतिवादीगण से अलग से कायम कराया जावें

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर सुनवाई प्रारम्भ की गई । उक्त वादग्रस्त भूमि के संबंध में दुसरा वाद प्रभात बनाम शंकर मु0 नं. मुकदमा नम्बर 109/2018 पूराने व 80/2019 नये वादी की और से श्री सतपाल गुर्जर एडवोकेट ने दावा बाबत बंटवारा स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर रखा है उक्त वाद पश्चातवर्ती वाद है तथा दोनो प्रकरण एक ही भूमि एव समान रिलीफ व पक्षकार समान है वकील उभय पक्ष को सुना जाकर वाद प्रभात बनाम शंकर मु0 नं. मुकदमा नम्बर 109/2018 पूराने व 80/2019 नये पश्चातवर्ती होने से उक्त वाद को वाद संख्या नम्बर 91/2018 पूराने व 133/2019 नये के साथ हमफिता कर दोनो प्रकरणो की सुनवाई एक साथ की जाकर दोनो प्रकरणो में एक साथ निर्णण किया गया । निर्णय की एक प्रति पश्चातवर्ती वादी के साथ संलग्न की जावें ।

वकील उभय पक्ष की प्रकरण में प्राथमिक डिकी पर बहस सुनी गई तथा दावा एव जवाब दावा अवलोकन किया । वकील वादी श्री महेश शर्मा ने प्राथमिक डिकी हेतु मौखिक सहमति जाहिर की तथा सरस नरस रास्ता व कब्जा अनुसार डिकी हेतु निवेदन किया । जिस पर वकील श्री सत्यपाल गुर्जर ने कथन किया कि मेरी और से प्रस्तुत नजरीनक्शा को भी कुर्रेजात तैयार करते समय मध्य नजर रखा जावें । श्री रामकरण शर्मा एडवोकेट ने बहस के दौरान निवेदन किया कि कुर्रेजात के समय सरस नरस व रास्ते तथा कब्जा को मध्य नजर रखा जावें । वकील उभय पक्ष की बहस सुनने व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो के अवलोकन करने पर हम वाद में प्राथमिक डिकी किया गया तथा तहसीलदार जमवारामगढ को आदेशित किया गया कि वादग्रस्त कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 11 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 12 रकबा 0.39 हैक्टेयर वाके ग्राम बिसोरी पटवार मण्डल बासना तहसील जमवारामगढ भूमि का मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे दर्ज हिस्सा अनुसार दोनो पक्षो को सूचित करते हुये उनकी मौजूदगी मे सरस नरस रास्ते व कब्जा काश्त को मध्य नजर रखते हुये संलग्न नजरीनक्शा अनुसार कुर्रेजात के प्रस्ताव तीन तीन प्रतियो तैयार कर पेश करे । उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार जमवारामगढ पत्र कमांक 1738 दिनांक 7.6.2023 द्वारा कुर्रेजात के प्रस्ताव भिजवाये गये जिसे शामिल मिसल किया गया वकील उभक्ष की कुर्रेजात पर बहस सुनी गई । वकील प्रतिवादी श्री सत्यपाल गुर्जर ने तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट पर आपत्ती जताई तथा निवेदन किया कि तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट के संलग्न प्रस्तावित नजरी नक्शे में पक्षकारो के मध्य विभाजन सही नहीं किया । उक्त विभाजन दोनो खसर नम्बर 11 व 12 के मध्य उत्तर से दक्षिण रेखा कायम की जाकर नक्शे में खसरा नम्बर 11 मिन व 11 तथा 12 मिन व 12 कायम किया जावें । तथा मेरे पक्षकारो को पूरब की दिशा आये खसरा नम्बर दिया जावें । तथा वकील वादी ने बहस में निवेदन किया कि मेरे पक्षकारो को दक्षिण दिशा मे न देकर पूरब की दिशा में आये खसरा नम्बर दिया जावें

वकील उभय पक्ष की बहस सुनने व पत्रावली का आद्योपान अवलोकन किया गया। तहसीलदार के द्वारा प्रस्तुत बटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया, तहसीलदार के द्वारा बटवारा कर बटवारा रिर्पोट प्रस्तुत की। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक)
जमवारामगढ़ जयपुर

गुणावगुण के आधार पर आंशिक स्वीकार की जाकर वादग्रस्त कृषि भूमिया वाके ग्राम बिशोरी पटवार मण्डल बासणा हाल नागलतुलसीदास तहसील जमवारामगढ के खसरा नम्बर 11 व 12 का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्नानुसार विभाजन किया जाता हैं। उसी मुताबिक इन्हे खातेदार तन्हा घोषित किया जाता हैं।

वर्तमान जमाबन्दी अनुसार खातेदार

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा
1	जोधा , प्रभात, मोहन पुत्र धासी 1/2 बलाई सा. देह. राहिन बीआई शाखा कुकस , शंकर ,महेश, पिता कालू सुन्दरी पत्नी कालू हि. 1/4 , भोरी देवी पत्नी दोलतराम 1/4 बलाई सा. देह खातेदार	11, 12	0.07 0.39

प्रस्तावित नवीन नजरी नक्शे के अनुसार खातेदार

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टे.
1	शंकर ,मुकेश पिता कालू , सुन्दरी पत्नी कालू हिस्सा 1/2, भोरी देवी पत्नी दौलतराम 1/2 बलाई सा. देह खातेदार	11 12	0.04 0.19
	योग	2	0.23
2	जोधा, प्रभात , मोहन पिता धासी बलाई सा. देह खातेदार राहिन बी0ओ.आई शाखा कूकस	11मी 12मी	0.03 0.20
	योग	2	0.23

उपरोक्त विभाजन अनुसार नवीन नजरी नक्शे में क्र. सं. 1 मे अंकित खातेदार, शंकर, मुकेश पिता कालू, सुन्दरी पत्नी कालू हिस्सा 1/2 भौरी देवी पत्नी दोलतराम हि. 1/2 को पूर्व की दिशा में तथा क्र. सं. 2 पर अंकित खातेदार जोधा, प्रभात , मोहन पिता धासी बलाई को पश्चिम की दिशा में आवटित खसरा नम्बर दिये जाते है तहसीलदार को आदेश दिये जाते है कि तदृानुसार वर्तमान रेवन्यू रिकॉर्ड में अलग – अलग खाते दर्ज अंकित की जावे, साथ ही वादीगण व प्रतिवादीगण को हुक्म इक्तिनाइ दवामी से पाबन्द किया जाता हैं कि अपने अपने हिस्से में आई आराजीयात में काबिज रहे तथ एक दुसरे के हिस्से मे आई आराजीयात में किसी प्रकार से कब्जे में दखल अंदाजी नहीं करें। नक्शा ट्रेस प्रमाणित किया गया। अन्तिम पर्चा डिकी जारी हैं।

निर्णय आज 26/9/2023 को मैरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक)
जमवारामगढ़, जिला जयपुर

डिक्री मुकदमा इबताई (रूल्स 18–21

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक जमवारामगढ जिला जयपुर बइजलास श्री चिमनलाल मीना

आर0ए0एस

मुकदमा नम्बर 91/2018 पूराने व 133/2019 नये

1. शंकर पुत्र कालू
2. मुकेश उर्फ मनीष पुत्र कालू
3. सुन्दरी पत्नी कालू
4. भौरी पत्नी दौलतराम

जाति बलाई निवासी ग्राम बिसोरी तहसील जमवारामगढ

वादीगण

बनाम

1. प्रभात पुत्र धासी
2. जौधा पुत्र धासी
3. मोहन पुत्र धासी

जाति बलाई निवासी ग्राम बिसोरी तहसील जमवारामगढ

4. राज. सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ

प्रतिवादीगण

मुकदमा नम्बर 109/2018 पूराने व 80/2019 नये

1. प्रभात पुत्र धासी
2. जौधा पुत्र धासी
3. मोहन पुत्र धासी

जाति बलाई निवासी ग्राम बिसोरी तहसील जमवारामगढ

वादीगण

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
जमवारामगढ जयपुर

बनाम

1. शंकर पुत्र कालू
2. मुकेश उर्फ मनीष पुत्र कालू
3. सुन्दरी पत्नी कालू
4. भौरी पत्नी दौलतराम

जाति बलाई निवासी ग्राम बिसोरी तहसील जमवारामगढ

5. बैक ऑफ इण्डिया शाखा कूकस जरिये शाखा प्रबंधक
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ
7. उप पंजीयक जमवारामगढ

प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राज. काश्तकारी अधिनियम

अन्तिम डिकी दिनांक 26/9/2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री चिमनलाल मीना आर. ए.एस व हाजिर श्री महेश शर्मा , सत्यपाल गुर्जर एडवोकेट मिनजातिब मुदालय रूबरू बहाजीरी पेश होकर हुक्त दिया जाता है कि वादी के वाद को आंशिक रूप से स्वीकार कर अन्तिम डिकी किया जाता है तहसीलदार जमवारामगढ को आदेशित किया जाता है कि वादग्रस्त कृषि भूमिया वाके ग्राम बिशोरी पटवार मण्डल बासणा हाल नागलतुलसीदास तहसील जमवारामगढ के खसरा नम्बर 11 व 12 का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्नानुसार विभाजन किया जाता हैं। उसी मुताबिक इन्हे खातेदार तन्हा घोषित किया जाता हैं।

वर्तमान जमाबन्दी अनुसार खातेदार

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा
1	जोधा , प्रभात, मोहन पुत्र धासी 1/2 बलाई सा. देह. राहिन बीआई शाखा कुकस , शंकर ,महेश, पिता कालू सुन्दरी पत्नी कालू हि. 1/4 , भोरी देवी पत्नी दोलतराम 1/4 बलाई सा. देह खातेदार	11, 12	0.07 0.39

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
जमवारामगढ़ जयपुर

प्रस्तावित नवीन नजरी नक्शे के अनुसार खातेदार

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टे.
	शंकर ,मुकेश पिता कालू , सुन्दरी पत्नी कालू हिस्सा 1/2, भौरी देवी पत्नी दौलतराम 1/2 बलाई सा. देह खातेदार	11 12	0.04 0.19
	योग	2	0.23
	जोधा, प्रभात , मोहन पिता धासी बलाई सा. देह खातेदार राहिन बी0ओ.आई शाखा वूकस	11मी 12मी	0.03 0.20
	योग	2	0.23

उपरोक्त विभाजन अनुसार नवीन नजरी नक्शे में क्र. सं. 1 मे अंकित खातेदार, शंकर, मुकेश पिता कालू, सुन्दरी पत्नी कालू हिस्सा 1/2 भौरी देवी पत्नी दोलतराम हि. 1/2 को पूर्व की दिशा में तथा क्र. सं. 2 पर अंकित खातेदार जोधा, प्रभात , मोहन पिता धासी बलाई को पश्चिम की दिशा में आवटित खसरा नम्बर दिये जाते है तहसीलदार को आदेश दिये जाते है कि तदानुसार वर्तमान रेवन्यू रिकॉर्ड में अलग – अलग खाते दर्ज अंकित की जावे, साथ ही वादीगण व प्रतिवादीगण को हुक्म इक्तिनाइ दवामी से पाबन्द किया जाता हैं कि अपने अपने हिस्से में आई आराजीयात में काबिज रहे तथ एक दुसरे के हिस्से मे आई आराजीयात में किसी प्रकार से कब्जे में दखल अंदाजी नहीं करें। नक्शा ट्रेस प्रमाणित किया गया। अन्तिम पर्चा डिक्री जारी हैं।

सहायक कलक्टर (ट्रैक)
फॉस्ट ट्रैक, जगन्नाथगढ